विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। -हरिऔध

चुनावी बॉण्ड पार्टियों को चंदा देने का लोकप्रिय जरिया बने

गरीबों का देश होते हुए भी भारत में होने वाले चुनाव जबरदस्त महंगे होते हैं। अनुमान लगाया गया है कि पिछले 2019 के लोकसभा आम चुनावों में 55 हजार से 60 हजार करोड़ रुपये चुनाव प्रचार के दौरान खर्च हुए जिससे वे दुनिया के सबसे महंगे चुनाव साबित हुए। मुद्रास्फीति को जोड़ें तो अब होने वाले चुनावों पर खर्च का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। चुनाव पर खर्च होने वाला पैसा कहां से आता है इस पर हमेशा चर्चा होती रही है। यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि चुनावों में काला धन और बिना हिसाब-किताब वाला पैसा बेतहाशा खर्च होता है। वोट के लिये पैसा बंटता है, सामान बंटता है। पार्टियां कहां से पैसा लाती हैं इस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने के लिये चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों को मिलने वाले पैसे का हिसाब मांगना ही नहीं शुरू किया बल्कि उसे सार्वजनिक किए जाने की व्यवस्था की। राजनैतिक दलों को मिलने वाला पैसा बैंकिंग चैनल से आये ताकि उसके काला धन होने की गुंजाइश न हो और वह विधिवत हो इसके लिये चुनावी बॉण्ड की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके लिए 2017 के वित्त विधेयक में चुनावी बॉण्ड की घोषणा की गई थी तथा 29 जनवरी 2018 को इसकी अधिसूचना जारी कर उसे चलन में ला दिया गया। इसी के चलते राजनैतिक दलों की आमदनी का बड़ा जरिया अब चुनावी बॉण्ड हो गये हैं। देखने की बात यह है कि चुनावी बॉण्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों ने पिछले चार सालों में 10,000 करोड़ रुपये हासिल किये हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुताबिक तब तक कुल 10,246 करोड़ मूल्य के कुल 18,779 बॉन्ड बेचे जा चुके थे। हिसाब लगाएं तो यह विशाल धनराशि केंद्र सरकार की कई बड़ी योजनाओं के कुल आवंटन के बराबर है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन ने पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गये हलफनामों की जानकारी के आधार पर बताया है कि बीते एक साल में छह राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टियों की कुल आमदनी में 2,300 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज की गई है। अब इलेक्टोराल बॉण्ड की नई 24 वीं किश्त पांच दिसंबर से शुरू हो गई है। इसमें कितना पैसा आया यह तो बाद में पता चलेगा। यह भी दिलचस्प बात है कि चुनाव नहीं होने पर भी राजनैतिक दलों को चंदे से कमाई होती रहती है। भारतीय स्टेट बैंक ने आरटीआई के जवाब में बताया कि एक से 10 जुलाई 2022 के बीच अलग-अलग पार्टियों ने 389.5 करोड़ मूल्य के 475 बॉण्ड भुनाये। यह ऐसे समय पर हुआ जब देश में न लोकसभा चुनाव थे और न किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव। अब जब दो राज्यों- गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों को इस तरह मिलने वाला दान कितना बढ़ गया होगा इसका अंदाज लगाया जा सकता है।

चुनावी बॉण्ड की योजना के तहत बॉण्ड पर खरीददार का नाम नहीं होता और उसे केवल राजनैतिक पार्टियां ही भुना सकती हैं। बॉण्ड एक प्रकार के प्रोमिसरी नोट हैं,यानी ये धारक को उतना पैसा देने का वादा करते हैं। बॉण्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ की राशि में ही खरीदे जा सकते हैं। ये इलेक्टोरल बॉण्ड कोई अकेले, समूह में, कंपनी या फर्म या हिंदू संयुक्त परिवार के नाम पर खरीद सकता है। इन्हें खरीदने वाले का नाम गुप्त रहता है। ये बॉण्ड भुनाने के लिये सिर्फ उन्हीं पार्टियों को चंदे के रूप में दिये जा सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले लोक सभा या विधान सभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत मत हासिल किए हों। इन बॉण्ड से दानदाताओं को जो गोपनीयता मिलती है, उसका मतलब यह भी है कि मतदाता यह नहीं जान पाते हैं कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक धन दिया है। इसीलिए चुनावी बॉण्ड का विरोध करने वाले विशेषज्ञों और ऐक्टिविस्टों का कहना है कि ये चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की जगह घटाते हैं। इलेक्टोरल बॉण्ड लाए जाने से पहले, राजनीतिक दलों को उन लोगों का विवरण देना पड़ता था जिन्होंने 20,000 रुपए से अधिक का चन्दा दिया हो। चुनावी केन्द्रीय बजट में चुनावी बॉण्ड योजना की घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया था कि इससे राजनीतिक दलों के वित्तीय पोषण और चंदे में पारदर्शिता आएगी। सरकार की दलील थी कि इससे चुनावी फंडिंग में काले धन का इस्तेमाल खत्म होगा और चुनाव लड़ने वाली पार्टी साफ धन का इस्तेमाल कर पायेंगी। सरकार ने इस कदम को क्रांतिकारी करार दिया था। मगर बॉण्ड का विरोध करने वालों का कहना है कि यह व्यवस्था जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है और राजनीतिक वर्ग को जवाबदेही से बचाता है। पार्टियां चंदे का जो ब्यौरा चुनाव आयोग को देती हैं उनमें चुनावी बॉण्डसे मिली रकम तो बताती हैं किन्तु वे यह जानकारी नहीं देती कि वह किस व्यक्ति या संस्थान से उनके पास पैसा आया हैं। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाऐं दायर कर चुनावी बॉण्ड पर रोक लगाए जाने की मांग की है, लेकिन इन याचिकाओं पर सुनवाई तीन साल से लंबित है।

> **कई छोटे दलों का कहना है कि आमतौर पर लोग छोटे दलों को नकद में ही चंदा देते हैं और बॉन्ड की योजना की वजह से उन्हें चंदा मिलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जब बजट में सरकार ने प्रति व्यक्ति नकद चन्दा देने की सीमा घटाई तो अधिकतर छोटे दलों ने सवाल उठाया था कि क्या इसका मकसद छोटे दलों को खत्म करना है। उनका तर्क था कि आमतौर पर लोग छोटे दलों को नकद में ही चंदा देते हैं।**

सार्वजनिक हुए आंकडे दिलचस्प तस्वीर सामने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वित्त वर्ष 2019-20 में बिके इलेक्टोरल बॉण्ड के तीन चौथाई हिस्से पर कब्जा किया है। इस वित्त वर्ष में बेचे गए कुल 3,435 के बॉन्ड में से कांग्रेस को मात्र नौ फीसदी ही मिला है। कांग्रेस के खाते में 318 करोड़ रुपए गये। साल 2018-19 में बीजेपी को बॉण्ड के जरिए 1450 करोड़ रुपए मिले थे और कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए मिले थे। इसी प्रकार इन बॉण्ड के जरिए बीजेपी की हिस्सेदारी 2017-18 वित्त वर्ष में 21 फीसदी से बढ़कर 2019-20 में 75 फीसदी हो गई है। बीजेपी को 2017-18 में कुल 989 करोड़ रुपए में से 210 करोड़ रुपए और 2019-20 में 3,427 करोड़ रुपए में से 2,555 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। बाकी दलों का हाल इस प्रकार है:- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बॉण्ड के जरिए 29.25 करोड़ रुपए जुटाए, टीएमसी ने 100.46 करोड़ रुपए, डीएमके ने 45 करोड़ रुपये, शिव सेना ने 41 करोड़ रुपये, आरजेडी ने 2.5 करोड़ रुपये और आम आदमी पार्टी ने 18 करोड़ रुपए बॉण्डके जरिए जुटाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल तीन साल के भीतर इलेक्टोरल बॉण्ड ने दानदाताओं को गुमनामी के साथ लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों धन देने का प्रमुख विकल्प दिया है। दूसरी तरफ पार्टियों के खर्च की तरफ ध्यान दें तो वहां भी दिलचस्प नज़ारा सामने आता है कि वे आने वाले पैसे को खर्च करने में किफायत बरतती नज़र आती हैं। बीजेपी ने अपनी 2410.08 करोड़ रुपये की आय में से सिर्फ 41.71 प्रतिशत यानी 1005.33 करोड़ रुपये खर्च किए बताए। वहीं कांग्रेस ने अपनी कुल आय में से 51.19 प्रतिशत, तृणमूल कांग्रेस ने महज 5.97 प्रतिशत और सीपीएम ने अपनी कुल आय का 75.43 प्रतिशत खर्च किया। दो विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों में हुए खर्च का ब्यौरा आने के बाद ही पता चलेगा कि अब उनके पास कितनी बचत है। यह भी काम दिलचस्प बात नहीं है चुनावी बॉण्ड योजना पर चिंता जताने तथा उसकी कडी आलोचना करने वाली राष्ट्रीय पार्टियों ने भी चुनावी बॉण्ड के जरिये चंदा उगाया है। कई छोटे दलों का कहना है कि आमतौर पर लोग छोटे दलों को नकद में ही चंदा देते हैं और बॉन्ड की योजना की वजह से उन्हें चंदा मिलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जब बजट में सरकार ने प्रति व्यक्ति नकद चन्दा देने की सीमा घटाई तो अधिकतर छोटे दलों ने सवाल उठाया था कि क्या इसका मकसद छोटे दलों को खत्म करना है। उनका तर्क था कि आमतौर पर लोग छोटे दलों को नकद में ही चंदा देते हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी तथा डीएमके समेत बड़े दल जैसे कांग्रेस और वाम दल अलग-अलग मौकों पर इलेक्टोरल बॉण्ड पर सवाल उठाते रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत नहीं हैं कि बॉण्ड से राजनीति स्वच्छ होगी। उनका मानना है कि जो भी दल सत्ता में रहेगा, उसके खाते में ही अधिक राशि जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। राजनीति में चंदा देने वाले अक्सर बड़े कारोबारी, कॉरपोरेट घराने होते हैं, कई बार सरकार बदलने से इस बात की आशंका अधिक बढ़ जाती है कि क्या खास पार्टी को चंदा देने वाले को परेशान किया जा सकता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार मोटे चंदे देने वालों पर दबाव डाल सकती है या फिर यह भी संभव है कि उन्हें परेशान भी कर सकती है। मगर यह भी सच है कि भारत के नागरिकों को पता नहीं चलता कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। पहले यह कानूनी व्यवस्था थी कि कोई कंपनी अपने नेट मुनाफे का साढ़े साथ प्रतिशत हिस्सा तक ही दान कर सकती थी। मगर बाद में सीमा की यह व्यवस्था हटा दी गई। कंपनियों को अपने लाभ और हानि के खातों में अपने राजनीतिक योगदान को प्रकट करने की बाध्यता नहीं है। महात्मा गांधी राजनीति में जो पवित्रता लाए थे वह उनके साथ ही चली गई। जब राजनीति सिर्फ राज करने के लिये रह गई हो तब कोई क्या करे।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

गैंगस्टर ग्रुप्स व माफिया बने शेखावाटी क्षेत्र के युवाओं के लिए अभिशाप

आनंदपाल हत्याकांड व उसके बाद बने माहौल से तथा अब राजू ठेहट की हत्या से विभिन्न समाजों के लोगों को सबक लेना चाहिए। किसी ने हिसाब किताब बराबर के लिए ठेहठ की हत्या कर दी। आनंदपाल सिंह हो, देवा गुर्जर हो या कोई राजू ठेहठ सब एक से गैंगस्टर ही थे। हत्याएं की थी। सबका ऐसे ही अंत हुआ। गैंगस्टर्स अपनी जाति के लिए कोई मैडल नही जीतते हैं। अपितु समाज में बहुत से बच्चों को इस गैंगवार की गंदगी में धकेलते हैं। विभिन्न समाजों के लोग इनको हीरो मानें या समाज के पथभ्रष्टक, वह उनका अपना विवेक है।

गैंगस्टरस लोगों को भय दिखाकर अवैध धंधा करते है। इनको राजनैतिक सरंक्षण भी मिलता रहता है। उपयोग के बाद राजनेता इनको किनारे कर देते है।इसके बाद गैंगस्टर्स बारी-बारी ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई में या पुलिस एनकाउंटर्स में निपटते रहते हैं।

विचारणीय प्रश्न यह है कि सीकर, झुंझुनू, चुरू, नागौर-डीडवाना क्षेत्र के किसानों के बेटों को अल्प आयु में अपराध की दुनिया में कोन लोग धकेल रहे है? क्या शराब माफिया, खान माफिया, ड्रग माफिया, डोडा-पोस्त माफिया, जमीन माफिया और इनको शह देने वाले राजनीतिज्ञ शॉर्ट तरीके से धन कमाने का लालच देकर इन निरीह गरीब किसानों के लड़को को इस खेल के रिंग में तो नही उतार रहे हैं?

गैंगस्टर्स की आपसी हत्याओं को लेकर बाजार बंद करवाने जैसे कदमों से बचा जाना चाहिए। वर्तमानं में शादियों का सीजन है। सैंकड़ों शिक्षकों की दशकों की तपस्या से सीकर शैक्षिक नगरी बना है। भय का माहौल शीघ्र खत्म किया जाना चाहिए।

किसी भी समाज के लिए आदर्श साहित्यकार, शिक्षक, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि होते है। गैंगस्टरों को

महावीर सिंह

आदर्श मानना किसी भी समाज के लिए कलंक समान है।

अगर किसी ने अपराध किया है, हत्या की है तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक हत्यारों को सजा मिले इसके लिए दबाव बनाने के लिए धरना, जुलूस, प्रदर्शन व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचने के विकल्प मौजूद है।

बाजार बंद करवाना, हिंसा करना, शवों को लेकर बैठना उचित नहीं है। ऐसा करके ही विभिन्न समाजों के लोग गैंगस्टर्स को महिमा मंडित करते है । विभिन्न समाजों ने, अज्ञानतावश, अपराधियों को अपनी-अपनी जाति समुदाय के हिसाब से गैंगस्टर्स को अपना-अपना आइकॉन (हीरो) बना रखे है। पढ़ने वाली उम्र के युवा बच्चे अपने-अपने समाज के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की फोटो अपने मोबाइल में डालकर घूमते है। उनको कोई कहने डांटने वाला क्यों नही कि वे यह क्या कर रहे हो?

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में और ताराचंद कड़वासरा की हत्या में क्या अंतर है? राजस्थान की सरकार ने कन्हैया लाल के मामले में तुरंत कदम उठाते हुए मृतक कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देकर व आर्थिक सहायता देकर परिवार को संभाला था। ताराचंद प्रकरण में भी उसके परिवार के दो योग्य जनों को नौकरी देनी चाहिए। उसके नाबालिग पुत्र, दो पुत्रियों की पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की चुनी हुई सरकार का कोई भी कदम समस्त नागरिकों के लिए बराबर होना चाहिए।

उपरोक्त सारे विचार, विभिन्न समाजों के लोगों ने, लोगों मिडिया पर डाल रखे है। सरकार को निष्पक्ष भाव से उन पर शीघ्रता से विचार करना चाहिए। भूमि विशेषत: शहरी भूमि कानूनों, माइनिंग से जुड़े कानूनों, शराब-डोडा-पोस्त ठेकों का ओर अधिक सरलीकरण कर, इनमें पारदर्शिता लाई जा सकती, अवैध धंदे कम किए जाकर, माफियों का प्रभाव कम किया जा सकता है।

महावीर सिंह,
पूर्व आईएएस

23वें जोधपुर पोलो सीजन की रंगारंग शुरुआत

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर पोलो एवं इक्यूस्टेरियन इंस्टीट्यूट, जोधपुर के तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउण्डेशन पोलो मैदान, एयरफोर्स रोड, पाबूपुरा में आज से शुरु हुए 23वें जोधपुर पोलो सीजन में मंगलवार को उम्मेद भवन पैलेस कप अरीना पोलो (4 गोल) टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। रॉयल बग्गी में बैठकर मैदान में पहुंचे मुख्य अतिथि अर्मेनिया व जॉर्जिया के हिज एक्सीलेंसी के.डी. देवल, आईएफएस अम्बेसडर ऑफ इण्डिया ने गेंद फेंककर मैच का शुभारंभ करवाया।

■ **ब्लैक बक्स ने बालसमंद टीम को 11 के मुकाबले 15 गोल कर मैच जीत लिया**

मेहरानगढ बैण्ड व पाईप्स एण्ड ड्रम्स 1 मैक आईएनएफ 1 मद्रास आर्मी बैण्ड की सुमधुर सुर लहरियों के बीच मयूर चौपासनी स्कूल के विद्यार्थियों ने रंग-बिरंगे बैलून हवा में छोडकर 23वें जोधपुर पोलो सीजन की शुरुआत करवायी। मैच समाप्ति पर विजेता टीम के खिलाडियों को कर्नल उम्मेद सिंह ने मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया।

जोधपुर पोलो एवं इस्क्स्टेरियन इंस्टीट्यूट, जोधपुर के सचिव जंगजीत सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में आज दोपहर 3 बजे ब्लैक बक्स और

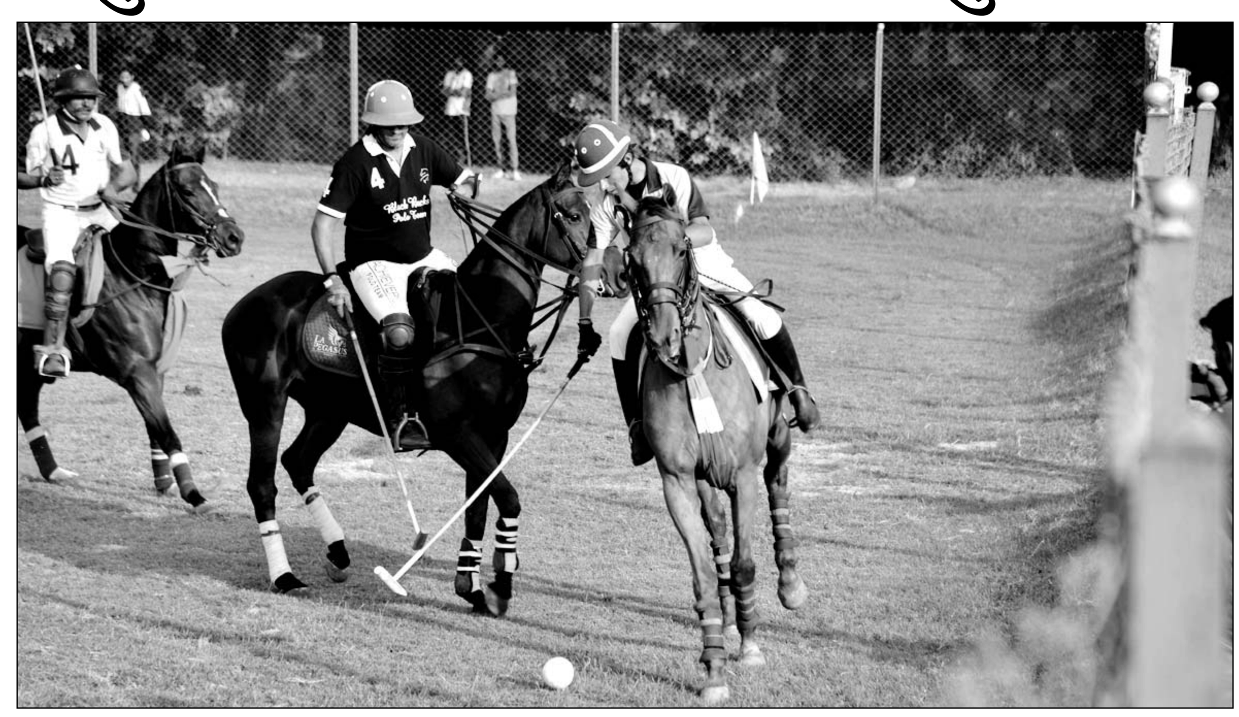

अर्मेनिया व जॉर्जिया के हिज एक्सीलेंसी के.डी. देवल, आईएफएस अम्बेसडर ऑफ इण्डिया ने गेंद फेंककर मैच का शुभारंभ करवाया।

बालसमंद के बीच अरीना पोलो मैच खेला गया जिसमें ब्लैक बक्स टीम ने तीन गोल की शुरुआती बढ़त के साथ खेलने मैदान में उतरी बालसमंद टीम को 11 गोल के मुकाबले 15 गोल कर 4 गोल के अन्तर से हराते हुए मैच जीत लिया। ब्लैक बक्स टीम के धनन्जयसिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अकेले 13 गोल किए। साथी खिलाडी विदेशी मूल के एलन शॉन माइकल ने भी तीसरे व चौथे चक्कर में एक-एक गोल किया। मुकाबले में बालसमंद टीम की ओर से खेलते हुए टीम के पेपसिंह भलासरिया ने पहले चक्कर में एक व दूसरे व तीसरे चक्कर में दो-दो गोल किए। साथी खिलाडी मेयो के द्रोण शेखावत ने तीसरे व चौथे चक्कर में एक-एक गोल व मेयो के ही भूमिंजय सिंह ने चौथे चक्कर में एक गोल किया।

मैच के दौरान कर्नल उम्मेद सिंह, कर्नल गिरेन्द्र सिंह दाखां, जगत सिंह, डीएसपी चैनसिंह महेचा, डॉ. महेन्द्रसिंह राठौड, मृगेन्द्रसिंह भाटी, महेद्रपाल सिंह आदि पोलो प्रेमी उपस्थित थे।

भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी-डॉ. अम्बेड़कर

भारत के संविधान को लिखने का श्रेय दलित पुत्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर को जाता है। ह्मारा संविधान विश्व के सभी संविधानों की प्रमुख विशेषताओं को समेटते हुए नागरिकों को समानता और सह-अस्तित्व की गारण्टी देकर, भारत को प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है।

24 मार्च, 1946 को आए कैबिनेट मिशन से बाबा साहब के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा के लिए डॉ. अम्बेडकर भी निर्वाचित हुए। 29 अगस्त, 1947 को संविधान प्रारूप समिति बनी। जिसके चेयरमैन डॉ. अम्बेडकर को बनाया गया। 3 जून 1946 से संविधान सभा ही भारत की प्रथम संसद बनी।

29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान मसौदा निर्माण समिति के नामों की घोषणा कर दी थी। जिसमें कि डॉ. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सदस्यों में सर अल्लादी कृष्णास्वामी, सर बी.एन.राय, श्री सैय्यद एम. सादुल्लाह, सर एन. गोपालस्वामी आयंगर, डॉ. के.एम. मुंशी, सर बी.एल मित्रर तथा श्री डी.पी. खेतान चुने गये। बाद में प्रारूप समिति ने मित्रर की जगह श्री एन माधवराव तथा श्री डी.पी. खेतान की मृत्यु होने से खाली हुए स्थान पर श्री टी.टी. कृष्णामाचारी को चुना। इस प्रकार मसौदा समिति में कुल आठ सदस्य थे।

इसके बाद डॉ. अम्बेडकर भारत के संविधान प्रारूप निर्माण कार्य में पूरी तरह व्यस्त हो गये। 29 अगस्त 1947 से लगातार संविधान निर्माण के महति कार्य को बड़ी लगन, उत्साह एवं

यादरामसिंह यादव

बुद्धिमता से दिन-रात करते रहे, तथा 16 फरवरी 1948 तक 171 दिन में संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को अन्तिम रूप से स्वीकार कर पास कर दिया गया तथा 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि 'हम भारत के लोग, भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी' (42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया), धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।

■ **अमेरिका की कोलम्बिया यूनिवर्सिटी ने डॉ. अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ लाज की उपाधि दी**

संविधान सभा में बहस का जवाब देने के लिए खड़े बाबा साहब ने कहा मैं केवल दलित जातियों के हितों के लिया आया था। हैरत हुई, जब मुझे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चैयरमैन चुना गया। मैं असमंजस में पड़ गया कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाली जा रही है। इस विचार से मेरा मन चिन्तित है कि क्या भारत की जनता, अपने मत, मजहब या स्वार्थ की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी।। उन्होंने अपने चालीस मिनिट के सारगर्भित भाषण में भारत की समस्त जनता से स्पष्ट शब्दों में अपील की, कि सच्चे अर्थों में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से जाति व्यवस्था को खत्म कर दो।

पूरी संविधान सभा जिसमें प्रधानमंत्री पं. नेहरू भी उपस्थित थे, ने शान्तिपूर्वक सुना और जब भाषण खत्म हुआ तो सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त किया। डॉ. अम्बेडकर ने भारत की जनता को सावधान करते हुए कहा कि हम राजनीति में हम समान होंगे, परन्तु सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमान होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट तथा इसकी एक वैल्यू को महत्व देंगे परन्तु सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम एक व्यक्ति एक वैल्यू को अस्वीकार करेंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके हमारी सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को खत्म करना है, वरना जो वर्ग विषमताओं व अन्याय के शिकार होंगे वो इस लोकतंत्र रूपी महल को ध्वस्त कर देंगे।

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर के कार्य से प्रभावित होकर संविधान सभा में बोले, डॉ. अम्बेडकर को कानून, समाजशास्त्र तथा आर्थिक क्षेत्रों में हमारे देश के इतिहास, मानव विज्ञान व संसार के संविधानों की उत्पत्ति व विकास के विशाल ज्ञान पर अधिकार है।

सर्वप्रथम संविधान सभा के विशेषज्ञ सर अल्लादी कृष्णास्वामी आयंगर के भाषण की इन पंक्तियों से करना चाहूंगा कि मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने जिस योग्यता और कुशलता के साथ संविधान को प्रस्तुत किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंनें जो अथक परिश्रम किया उनके लिए मेरे मन में बहुत प्रशंसा भाव हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इतनी लगन, श्रद्धा एवं उत्साह से खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने जो कार्य किया है, उतना इस कमेटी के किसी भी सदस्य ने नहीं किया है। उन्होंने न केवल अपने चयन की सार्थकता को सिद्ध किया है बल्कि इस कार्य में चार चांद लगा दिये हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने इतना कठोर श्रम किया एवं सावधानी बरती है उतनी कोई नहीं कर सकता।

11 जनवरी 1950 को बम्बई दलित जाति फैडरेशन ने डॉ. अम्बेडकर का स्वर्णपात्र में संविधान की प्रति भेंट करते हुए भारी सन्मान किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि पिछले 20 सालों से सवर्ण हिन्दुओं तथा कांग्रेसी नेताओं ने मुझे मुस्लिम समर्थक, ब्रिटिश समर्थक तथा हिन्दु धर्म का विनाशक एवं स्वतन्त्रता विरोधी-नेता, कहकर निंदित किया है। मुझे आशा है कि मेरे संविधान के निर्माण कार्य से मुझे वे सही रूप में समझने में समर्थ होंगे ।

5 जून 1952 को अमेरिका की कोलम्बिया यूनिवर्सिटी द्वारा संसार के सवोत्तम संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ लाज की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। अमेरिका वासियों ने इससे पूर्व डॉ. अम्बेडकर को भारत का बुकरिटी-वाशिंगटन का सम्मान प्रदान किया था। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते हुए सदियों से दलित शोषित वर्ग, जिसकी पीड़ा व दर्द को समझते थे, मानवीय अधिकार संविधान में दिलाये।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी आदमकद प्रतिमा "संसद-भवन" नई दिल्ली के प्रांगण मे स्थापित की गयी। वर्ष 1990 में बाबा साहब को राष्ट्र की सेवाओं के लिए 'भारत रत्न' के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनके मरणोपरान्त उनकी पत्नी को देकर सम्मानित किया। डॉ. अम्बेडकर द्वारा किये गये देशहित में उनके महान कार्यों को कभी भुलाया ना जा सकेगा। भारत की जनता उनकी हमेशा के लिए ऋणी रहेगी।

यादरामसिंह यादव,
स्वतंत्र लेखक एवं पत्रकार

राशिफल

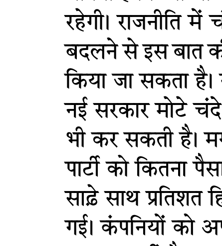

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 7 दिसम्बर, 2022

मार्गशीष मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2079, कृत्तिका नक्षत्र दिन 10:25 तक, सिद्ध योग रात्रि 2:54 तक, वणिज करण प्रात: 8:02 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृष, मंगल-वृष, बुध-धनु, गुरू-मीन, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज रवियोग दिन 10:25 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सम्पूर्ण दिन-रात है। भद्रा प्रात: 8:02 से रात्रि 8:50 तक है। आज चतुरथी तिथि में वृद्धि हुई है। आज चान्द पूर्णिमा व्रत, श्री दत्तात्रेय जयन्ती है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:42 तक, शुभ 11:00 से 12:18 तक, चर 2:54 से 4:11 तक, लाभ 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:07, सूर्यास्त 5:29

मेष

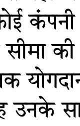

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

वृष

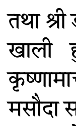

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन

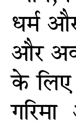

आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। आवश्यक ध्धन प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क

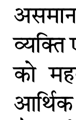

आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह

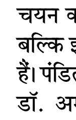

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

कन्या

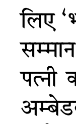

धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

तुला

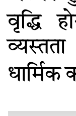

व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

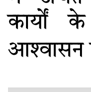

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

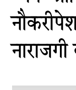

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा।

मकर

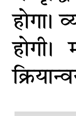

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कुंभ

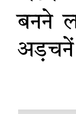

घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

मीन

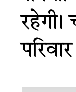

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।